मानव संसाधन विभाग

कार्मिक लाभ प्रभाग : केंद्रीय कार्यालय

239, विधान भवन मार्ग, यूनियन बैंक भवन, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

स्टाफ परिपत्र क्र.7116 | 04 जून, 2020

<u>प्रति : सभी शाखाएं/कार्यालय</u>,

परिपत्र की मुख्य बातें

- **अनिवार्य सेवानिवृत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए दूसरे पेंशन विकल्प का विस्तार**
- **पेंशन विकल्प फॉर्म की प्रस्तुति**
- **दिनांक 04.06.2020 से 02.08.2020 तक विकल्प खुला रहेगा**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी)
पेंशन विनियमन 1995 के अधीन अनिवार्य
सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों (सीआरएस) हेतु पेंशन का दूसरा विकल्प

1. 10वीं द्विपक्षीय समझौता / संयुक्त नोट दिनांक 27.04.2010 के क्रम में, बैंक के उन कर्मचारियों को पेंशन विनियम 1995 के अधीन पेंशन के लिए एक दूसरा विकल्प ऐसे दिया गया है जो 29.09.1995 से पहले बैंक की सेवा में कार्यरत थे एवं अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हुए या द्विपक्षीय समझौता/संयुक्त नोट दिनांक 27.04.2010 की तारीख तक सेवा में कार्यरत थे. हालांकि, पेंशन के लिए उपरोक्त विकल्प उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं है जिन्हें बैंक द्वारा दंड स्वरूप अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति किया गया है.

2. भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने अपने पत्र क्रमांक HR&IR/CIR/G2/BRK/4684 दिनांक 16.03.2018 के द्वारा बैंकों को सूचित किया गया है कि द्विपक्षीय समझौता / संयुक्त नोट दिनांक 27.04.2010 की नियमों एवं शर्तों के अनुसार उन कर्मचारियों को पेंशन हेतु दूसरा विकल्प दिया जाए जिन्होंने पहले 29.09.1995 एवं 27.04.2010 के दरम्यान अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुए हैं एवं इस पर विकल्प का चयन नहीं किया है. बशर्ते कि उनको पेंशन विकल्प उपलब्ध न कराए जाने हेतु उनके द्वारा बैंक के विरुद्ध न्यायालय में मामले, यदि कोई हों, को वापस लेते हैं.

3. आईबीए द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के परिपेक्ष्य में, बैंक के बोर्ड ने निर्णय लिया है कि पेंशन के लिए विकल्प उन कर्मचारियों को दिया जाए, जो 29.09.1995 और 27.04.2010 के बीच अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुए हैं.

4. संबंधित द्विपक्षीय समझौता / संयुक्त नोट के सम्मत नियम एवं शर्तों के अनुसार, पेंशन/पारिवारिक पेंशन उन्हें प्रदान की जाएगी जो 27.11.2009 से प्रभावी पेंशन योजना विकल्प का चयन करेंगे. यद्यपि, ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 27.11.2009 के बाद अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति ली है, उन्हें सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति की संबंधित तारीख से पेंशन प्राप्त होगी.

5. <u>पात्रता :</u>

5.1. समझौता / संयुक्त नोट दिनांक 27.04.2010 के क्रम में, मौजूदा पैंशन योजना में शामिल होने के लिए एक और विकल्प, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों को दिया जाएगा, जो:

(ए) दिनांक 29 सितंबर, 1995 से पहले बैंक की सेवा में कार्यरत थे और समझौते की तारीख अर्थात 27.04.2010 को या उससे पहले बैंक की सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुए

(बी) पैंशन निधि का एक सदस्य बनने के लिए, प्रस्ताव की तारीख से 60 दिनों के भीतर लिखित रूप में विकल्प प्रदान करना; और

(सी) 60 दिनों की संबंधित अवधि की समाप्ति के बाद 30 दिनों के भीतर भविष्य निधि में बैंक का सम्पूर्ण अंशदान और अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी/अधिकारी द्वारा उसपर प्राप्त उपचित ब्याज एवं संबंधित समझौते के अनुसार फंडिंग के अंतर को समाहित करने की दृष्टि से उसके/उसकी अंशदान राशि के हिस्से के रूप में प्राप्त राशि का 56% रिफ़ंड करता है.

5.2 **उन कर्मचारियों के परिवार**, जो 29 सितंबर 1995 से पूर्व बैंक की सेवा में थे तथा समझौते की तारीख अर्थात 27.042010 तक या उससे पहले बैंक की सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति हुए हैं और मर चुके हैं, उनके परिवार पैंशन के पात्र होंगे. बशर्ते कि

(i) *मृतक कर्मचारियों का परिवार पैंशन निधि का सदस्य बनने के प्रस्ताव के 60 दिनों के भीतर लिखित विकल्प का उपयोग करता है; तथा*

(ii) 60 दिनों की संबंधित अवधि की समाप्ति के बाद 30 दिनों के भीतर भविष्य निधि में बैंक का सम्पूर्ण अंशदान और सेवानिवृत्ति पर मृतक कर्मचारी द्वारा उसपर प्राप्त उपचित ब्याज और संबंधित समझौते के अनुसार फंडिंग के अंतर को समाहित करने की दृष्टि से उसके/उसकी अंशदान राशि के हिस्से के रूप में प्राप्त राशि का 56% रिफ़ंड करता है.

5.3 पैंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग 04.06.2020 से 02.08.2020 (दोनों दिन सहित) की अवधि के दौरान किया जा सकता है.

5.4 27.11.2009 से पैंशन / परिवार पैंशन, उन कर्मचारियों के लिए देय होगा, जो समझौते के अनुसार पैंशन योजना में शामिल होने का विकल्प देंगे. हालाँकि, कर्मचारी / अधिकारी जो 27.11.2009 तारीख के बाद अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं वे अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की संबंधित तारीखों के बाद पैंशन पाने के हकदार होंगे.

5.5 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पैंशन विनियमन 1995 के सभी विनियम इन कर्मचारियों / अधिकारियों पर लागू किया जाएगा.

5.6 विकल्प का प्रयोग करने के उपरांत अपेक्षित निधि बैंक को वापस कर देने के पश्चात, पैंशन विकल्प को रद्द नहीं किया जा सकता है.

6. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी') पैंशन विनियम 41 (8) (iii) के अनुसार, एक आवेदक, जो अनिवार्य रूप से बैंक द्वारा सेवानिवृत्त हो गए हैं और विनियम 33 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पैंशन के लिए पात्र हैं, बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिट घोषित किए जाने के पश्चात वे विनियम 41 के उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट सीमा के अधीन अपनी पैंशन के एक अंश को रूपांतरित करने के पात्र होंगे.

7. कृपया नोट करें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी ') पैंशन विनियमन 1995 के विनियम 41 (9) (जी) के क्रम में, "जिनके संबंध में विनियम 30 के तहत अवैध पैंशन या विनियम 31 के तहत अनुकंपा

Mr

भत्ता या विनियम 33 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन स्वीकार्य है, बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई चिकित्सा प्रमाण पत्र की तारीख पर सारंशीकरण (कम्यूटेशन) पूर्ण हो जाएगा. अतः, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी / अधिकारी, जो पेंशन विकल्प का चयन करते हैं और पेंशन सारंशीकरण (कम्यूटेशन) चाहते हैं, वे बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सक से चिकित्सा परीक्षण के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय / निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करेंगे. <u>पेंशन सुविधा सारंशीकरण (कम्यूटेशन) की सुविधा परिवार पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा.</u>

8. <u>पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त मृतक कर्मचारियों / अधिकारियों के परिवार द्वारा विकल्प फॉर्म प्रस्तुति की प्रक्रिया</u>

क्र.	वर्ग	फार्म प्रस्तुत किए जाने हैं	प्रस्तुत करने का माध्यम	प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि	अनुवर्ती कार्रवाई
01	**<u>अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा पेंशन का विकल्प</u>** वे कर्मचारी / अधिकारी, जो 29.09.1995 से पूर्व बैंक की सेवा में कार्यरत थे और समझौते की तारीख अर्थात 27.04.2010 से पहले अर्हक सेवा के 10 वर्ष पूर्ण करने के बाद अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुए हैं	अनुलग्नक I से VIII	भौतिक स्वरूप में	04.06.2020 से 02.08.2020 तक 60 दिन	इस परिपत्र में उल्लिखित आवेदन फॉर्म का सेट निकटतम यूबीआई शाखा / कार्यालय में उपलब्ध होगा. आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्णतः भरे हुए दस्तावेजों के दो सेट किसी भी नजदीकी शाखा/कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए. इस परिपत्र में उल्लिखित अनुसार अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी/ अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी / अधिकारी के परिवार दंड आदेश की एक प्रति सहित आवेदन फार्म/दस्तावेजों के सेट की प्राप्ति के पश्चात, शाखा / कार्यालय एक प्रति पर प्राप्ति सूचना देंगे और दूसरी प्रति को, उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे, जिसके क्षेत्राधीन वाली शाखा/कार्यालय में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी / अधिकारी ने अंतिम बार कार्य किया है. क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन विकल्प मंजूरी/अनुमोदन हेतु वर्क शीट सहित उक्त को केंद्रीय कार्यालय के कर्मचारी लाभ प्रभाग (ईबीडी) को अग्रेषित करेंगे.
02	**<u>अनिवार्य रूप से मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार द्वारा पेंशन विकल्प:</u>** उन कर्मचारियों के परिवार, जो 29 सितंबर, 1995 से पहले बैंक की सेवाओं में कार्यरत थे और समझौते की तारीख अर्थात 27.04.2010 से पहले अर्हक सेवा के 10 वर्ष पूरे करने के बाद अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुए हैं और मर चुके हैं.	कर्मचारी की मृत्यु प्रमाणपत्र और परिवार पेंशन आवेदक के केवाईसी दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक VIII से X	भौतिक स्वरूप में	04.06.2020 से 02.08.2020 तक 60 दिन	

नोट: मेडिकल परीक्षण बैंक द्वारा अनुमोदित डॉक्टर द्वारा किया जाना है. चिकित्सक की फीस (यदि कोई हो) सहित व्यय, यदि कोई हो, जो उक्त चिकित्सा परीक्षा से संबंधित है, तो वह आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा.

9. कृपया ध्यान दें कि *इस परिपत्र की तारीख से पहले* अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी / अधिकारी या पारिवारिक पेंशन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का पत्राचार / पत्र या किसी अन्य पत्राचार *पर बैंक द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा.* क्योंकि विकल्प फॉर्म को संलग्न किए गए प्रारूपों के अनुसार सख्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा.

10. **अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों / अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवार द्वारा रिफ़ंड किए गए निधि प्रेषण की प्रक्रिया**

10.1 पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प की प्रस्तुति की प्रक्रिया 04.06.2020 शुरू होगी तथा 02.08.2020 को बंद हो जाएगी (दोनों दिन सहित).

10.2 पात्र अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त मृतक कर्मचारी के परिवार द्वारा पेंशन विकल्प फॉर्म जमा करने के बाद, 01.09.2020 को या उससे पहले (कट- ऑफ तारीख से 30 दिनों के भीतर) उस कार्यालय/ शाखा में, जहां आवेदन पत्र जमा किया गया है, को अपेक्षित राशि वापस करना होगा.

10.3 पात्र अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी या अनिवार्य रूप से मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार से संग्रहीत पेंशन राशि को व्यक्तिगत रूप से पेंशन निधि खाता संख्या 378902010102148 में तत्काल प्रेषित करेंगे और पेंशन प्रारूप की समेकित सूची को निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे:

क्र.	भनिक्र.	परिवार पेंशन आवेदक के साथ कर्मचारी का नाम, यदि कोई हो	पीएफ में बैंक का योगदान	बैंक के योगदान का 56%	4 और 5 का कुल	शाखा	अंचल
01	02	03	04	05	06*	07	08
		कुल					

* कॉलम 06 के कील का मिलन पेंशन निधि खाता संख्या 378902010102148 में जमा राशि के साथ मेल होना चाहिए

10.4 कृपया नोट करें कि दें कि पात्र अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी या अनिवार्य रूप से मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार द्वारा पेंशन निधि खाते में रिफ़ंड के बाद ही, पेंशन / परिवार पेंशन के अनुमोदन के लिए एक नोट सक्षम प्राधिकारी को दिया जाएगा.

11. **शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पेंशन निधि में अंशदान के प्रेषण की प्रक्रिया :**

क्र.	**योगदान का स्वरूप**	**पेंशन निधि में रिफ़ंड/जमा करने की निर्धारित अवधि**	**पेंशन निधि खाते में जमा करना तथा किए जाने वाले अन्य आय**
(i)	अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी / अनिवार्य रूप से	30 दिन (03.08.2020 से 01.09.2020 तक)	खाता क्र.378902010102148 राशि भेजने वाले शाखा / क्षेत्रीय

	सेवानिवृत्त मृतक कर्मचारी के परिवार/अधिकारियों के लिए बैंक का भविष्य निधि में योगदान एवं उसपर ब्याज तथा भविष्य निधि में बैंक के अंशदान का 56%	जैसे ही शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों / अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त मृतक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों से राशि प्राप्त होती है, उसी समय शाखा / क्षेत्रीय कार्यालय को अपने यहां उल्लिखित खाते में जमा करना होगा, तथा कर्मचारी / अधिकारी का सही पीएफ नंबर देना होगा.	कार्यालय को सही भविष्य निधि खाता संख्या और प्रेषक का नाम, शाखा का नाम, शाखा की SOL ID, लेन-देन की तारीख का उल्लेख करना चाहिए.

12 सभी शाखा प्रबंधक / विभागीय प्रमुख से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र को शाखा/कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें. इसके अलावा, विस्तृत कवरेज हेतु, परिपत्र की प्रतिलिपि स्थानीय सेवानिवृत्त कर्मचारियों/ अधिकारी फेडरेशन/एशोसिएशन को भेजी जानी चाहिए. परिपत्र की एक प्रति बैंक के कॉर्पोरेट वेबसाइट: www.unionbankofindia.co.in पर भी अपलोड की गई है.

13. आवेदन फॉर्म को बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट: www.unionbankofindia.co.in से डाउनलोड किया जा सकता है.

14 समय पर विकल्प का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सभी स्टाफ सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है और साथ ही अनुरोध है कि इस जानकारी का प्रचार-प्रसार करें, ताकि सभी पात्र अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी / अनिवार्य सेवानिवृत्त मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य इस योजना से लाभान्वित हो सके.

15 पेंशन विकल्प योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अधिक स्पष्टीकरण / सहायता हेतु, ईबीडी, केंद्रीय कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है.

श्री गणपत पटेल , प्रबंधक (पेंशन) : 022-22896246 / आईपी 116246
श्री कैफी गोयल, प्रबंधक (पेंशन) आईपी 116249
ईमेलआईडी: ganpat.patel@unionbankofindia.com ; kaiffy.goyal@unionbankofindia.com

श्री संजीवकुमार पिल्लामारी
मुख्य प्रबंधक : 022-22896236/ आईपी- 116236
ई-मेल आईडी : ebd.co@unionbankofindia.com ;

~~मुख्य महाप्रबंधक (मास)~~